No – 1102/DJ&HD
26/6/17

34

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

कार्यालय परिपत्र संख्या 21394–819/हिंदी कार्यान्वयन समिति/262/2008, दिनांक 07/04/2008 व परिपत्र संख्या 16821–17281/हिंदी/262/09, दिनांक 10/02/2009 के क्रम में आप सभी को पुनः सूचित किया जाता है कि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 26.01.2004 से प्रभावी हो चुका है, जिसके तहत हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 5 के अन्तर्गत प्रावधान है कि हिंदी भाषा में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी भाषा में ही दिया जाए। अतः, आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय में हिंदी भाषा में प्राप्त पत्रों का उत्तर आवश्यक तौर पर हिंदी भाषा में ही दें।

समस्त अनुभागों के प्रभारी न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 5 में वर्णित उक्त प्रावधान का पूरी तरह से पालन हो।

(तलवंत सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),
दिल्ली।

संख्या 39879–40029/हिन्दी/237/2017 दिल्ली, दिनांक 29/06/17

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. समस्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम/नई दिल्ली/दक्षिण/दक्षिण–पूर्व/पूर्व/उत्तर–पूर्व/उत्तर–पश्चिम/दक्षिण–पश्चिम/उत्तर/शाहदरा/दिल्ली/नई दिल्ली (इस अनुरोध सहित कि आप इस परिपत्र को अपने संबद्ध न्यायिक जिले में परिचालित करवाएँ)।
2. समस्त न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. मुख्य महानगर दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
8. निजी सचिव, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।
9. वेबसाइट समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

ध्यान दें : समस्त न्यायिक अधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारियों को इस परिपत्र से अवश्य अवगत करवाएँ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),
दिल्ली।

परिचालित करें

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (शाहदरा)
13/06/17